निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या :05/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

राजेश पुत्र चन्दाराम जाति मीणा निवासी ग्राम राम्यावाला, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री विमल लाल मीणा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ ।
2. सुखदेव पुत्र रामसहाय जाति मीणा निवासी ग्राम राम्यावाला, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण।
3. रामजी लाल पुत्र श्योराम जाति मीणा निवासी ग्राम राम्यावाला, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बावत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 176/2016 व 138/2016 ब उनवानी गंगा लहरी व अन्य बनाम रामजीलाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बावत।

उपस्थित:-

1. श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री दीपक खण्डेलवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 28.12.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 176/2016 व 138/2016 ब उनवानी गंगा लहरी व अन्य बनाम रामजीलाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री दीपक खण्डेलवाल अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र बहस हेतु अवसर लेते रहे तथा दिनांक 24.03.2023 को पत्रावली में तारीख पेशी निहित थी। वादी/प्रार्थी जब न्यायालय में पहुंचे तो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के साथ चाय पीते हुये बातचीत कर रहे थे तथा करीब आधा घन्टा तक सहायक कलक्टर चैम्बर में अकेले रहे। वादी को शक हुआ तो वादी भी सहायक कलक्टर के चैम्बर में घुस गया । तब अप्रार्थीगण के हाथ में न्यायालय की फाईल थी, जिसको दिखा कर रह रहे थे कि साहब आपको तो सिर्फ इस स्टे प्रार्थना पत्र को खारिज करना है । उक्त शब्द स्वयं वादी ने अपने

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कानो से सुने व आंखो से देखा । सहायक कलक्टर राजनैतिक दबाव के कारण उक्त प्रकरण में बिना प्रार्थी को सुने प्रकरण को खारिज करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 आज दिनांक 11.04.2023 को गांव में बोल रहे थे कि हमारी पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ हो गई है तथा हम हमारे नाम गलत लगी जमीन को सहायक कलक्टर से मिलने वाले को बेचान कर रहे है जो सहायक कलक्टर के गांव का ही है और वह राजनैतिक पहुंच रखता है, जो विधायक के प्रभाव से सहायक कलक्टर से इनके स्टे को अगली तारीख पेशी से पहले ही तुड़वा लेगा। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय से विश्वास उठ गया है। अतः प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, किन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में उक्त प्रकरण को यदि अन्य सक्षम न्यायालय में ट्रान्सफर किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 176/2016 व 138/2016 ब उनवानी गंगा लहरी व अन्य बनाम रामजीलाल व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 29.01.2024 को न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी में उपस्थित हो।

9. सहायक कलक्टर बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ एवं सहायक कलक्टर बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 28.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर